न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट रघुनाथगढ)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 3/22 /16 — निर्णय दिनांक : 01.06.2016

उनवान

1. रहमान पुत्र दरबू जाति मेव निवासी ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

............अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1836 रकबा 0.60 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तह0 रामगढ जिला अलवर की पैमाईश, पत्थरगढी व निशानदेही पुलिस इमदाद लेकर राजस्व कर्मचारियो / अधिकारियो एवं पटवारियों की गठित टीम के साथ पैमाईश कर पत्थरगढी करने हेतु अप्रार्थी सं0 1 को आदेश जारी किया जावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ में दिनांक 01.06.2016 को पेश हुई। पत्रावली का राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ में अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैमाईश रिपोर्ट की छायाप्रति दिनांक 04.06.15 के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1836 रकबा 0.60 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर की पैमाईश, पत्थरगढी व निशानदेही पुलिस इमदाद लेकर राजस्व कर्मचारियो / अधिकारियो एवं पटवारियों की गठित टीम के साथ पैमाईश कर पत्थरगढी नियमानुसार करावे। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत रघुनाथगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)